24/11/25 पत्रावली पेश व अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित
अपीलार्थी कि अपील प्रार्थना पत्र को आदेश स्वीकार
किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर
पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली की नकल
सुनवाई नम्बर के बाद में पत्रावली जमा होकर
रिकार्ड में शामिल हो

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर ([illegible]-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :— सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

अपील संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02/2024	02.02.2024	28.11.2025

बउनवान

1. भूपसिंह पुत्र मुर्ताराम जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत भुनगडा अहीर पं0 स0 मुण्डावर जरिये सरपंच
2. धमेन्द्र
3. कपिल देव पुत्र बदलूराम
4. धनवन्ती बेवा बदलूराम जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. राजबाला पुत्री बदलूराम पत्नी मनोज कुमार निवासी सानोली तह0 मुण्डावर हाल निवासी जैनाबाद ढहेना तह0 रेवाडी हरि0।
6. लाली पुत्री मूर्ताराम पत्नी सत्यवीर जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर हाल मालयाकी तह0 पालावास जिला रेवाडी हरि0।

:— असल रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत भुनगडा अहीर प0 स0 मुण्डावर जिला अलवर राज0 बाबत इन्तकाल संख्या 913 दिनांक 05.09.2009 वाके ग्राम भुनगडा अहीर तह0 मुण्डावर जिला अलवर

श्री अशोक चौधरी —: वकील अपीलान्ट

अपीलान्ट के अपील प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत भूनगडा अहीर तह० गुण्डावर जिला अलवर, हाल जिला खैरथल तिजारा, राज० व इन्तकाल स० 913 दिनांक 5/9/2009 ग्राम भूनगडा अहीर तह० मुण्डावर की पेश की जा रही है। जो वाके हदूद अदालत श्रीमान है। अतः अपील हाजा समाअत अदालत श्रीमान है। उक्त इन्तकाल सं० 913 ग्राम पंचायत भूनगडा अहीर ने अपीलान्ट के पिता मुर्ताराम के वारिसान की जांच किये बिना रेस्पोडेन्ट सं० 1 द्वारा मिन अपीलान्ट के पिता की विरास्त इन्तकाल तन्हा रेस्पोडेंट स० 2 ल० 6 के नाम मंजूर कर दिया, जो कानूनन गलत है, जबकी रेस्पोडेंट स० 1 को मिन अपीलान्ट के पिता के समस्त वारिसान की जांच कर, विरास्त

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

इन्तकाल मंजूर करना चाहीए था. लेकिन रेस्पोंडेंट स० 1 द्वारा मिन अपीलान्ट के पिता की विरास्त का इन्तकाल मंजूर करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून मिन अपीलान्ट के नाम विरास्त का इन्तकाल दर्ज नहीं कर, रेस्पोडेंट स० 2 ल० 6 के नाम खिलाफ कानून व खिलाफ मौका उक्त इन्तकाल विरास्त दर्ज कर, मंजूर किया है। जो काबिल निरस्त है। जिस इन्तकाल को निरस्त किया जाकर मिन अपीलान्ट को 1/3 भाग व रेस्पोडेंट स० 2 ल० 5 समभाग 1/3 भाग व रेस्पोडेंट स० 6 के नाम 1/3, भाग में पुनः इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिया जावे। मुन्दर्जे इन्तकाल सं० 913 वाके ग्राम भूनगडा ठेठर तह० मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा में वर्णीत आराजी गत ख0नं0 521 रकबा 0.49 हैक0, 522 रकबा 0.24 हैव0, 525 रकबा 644 रकबा 0.35 हैक0, 569 रकबा 0.32 हैव०, व ख0न0 273 रकबा 0.30 हैक०, जिस आराजीयत से वर्तमान सैटलमेंट में हाल ख०नम्बरान 640 रकबा 0.49 हैक0, 641 रकबा 0.24 हैव0, 644 रकबा 0.34 हैक0, 697 रकबा 0.32 हैक०, व ख०न० 359 रकबा 0.30 हैक०, पैमूद हुये है, जो आराजी मिन अपीलान्ट के पिता की आराजी रही है, जो आराजी खानदानी पैतृक आराजी है तथा मिन अपीलान्ट के पिता के फौत होने पर रेस्पोडेंट स० 1 द्वारा मृतक मुर्तताराम की विरास्त इन्तकाल स० 913 दिनांक 5/9/2009 को मंजूर करते समय, रेस्पोडेंट स० 2 ल० 6 के नाम का अंकन मंजूर कर, मिन अपीलान्ट का नाम खिलाफ कानन व खिलाफ मौका हजफ कर दिया। जबकी उक्त इन्तकाल में वर्णीत आराजी में मिन अपीलान्ट का 1/3 भाग व रेस्पोडेंट स० 2 ल० 5 का 1/3 भाग व रेस्पोडेंट स० 6 का 1/3 भाग है तथा मौका पर मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेंट इसी प्रकार से काबिज है तथा काश्त कर रहे है। मिन अपीलान्ट के खानदान का सजरा निम्न प्रकार पेश है।

मूर्ताराम

भूपसिंह पुत्र	बदलूराम पुत्र–फौत	लाली पुत्री

बदलूराम (फौत) के वारिसान:

धमेन्द्र पुत्र	कपिल देवी पुत्र	राजबाला पुत्री	धनवन्ती बेवा

मिन अपीलान्ट को उक्त अलोच्य इन्तकाल के पारित होने का कतई ज्ञान नही था, क्योंकि मिन अपीलान्ट अपने हिस्से की आराजी पर रेस्पोडेंट स० 2 ल० 6 के साथ अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है. तथा अपना हिस्सा लेते रहे है, लेकिन अब दिनांक 11/1/2024 को मिन

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्ट को राजस्व रिर्कोड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो मिन अपीलान्ट को जानकारी हुयी कि मिन अपीलान्ट का नाम जमानबन्दी में नही है. जिस पर मिन अपीलान्ट ने विरास्त इन्तकाल स० 913 की प्रति तहसील कार्यालय से निकलवायी तो जानकारी हुयी कि रेस्पोडेंट स० 1 द्वारा विरास्त इन्तकाल स० 913 मंजूर करते समय मिन अपीलान्ट के नाम का इन्तकाल में दर्ज नही किया है, जिस पर वकील साहब से सर्म्पक कर कानूनी सलाह ली जाकर अविलम्ब ही अपील न्यायालय श्रीमान में पेश की जा रही है। जो अपील जो अपील जानकारी से अन्दर अवधि पेश है। फिर भी दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश की जा रही है। दीगर कानूनी वाकेयात, ऐतराज वक्त बहक अर्ज श्रीमान किये जावेगे।

अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेशकर निवेदन है कि अतः अपील अपीलान्ट पेशकर श्रीमान जी से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायायल ग्राम पंचायत भूनगडा अहीर का आलोच्य आदेश दिनांक 5/9/2009 इन्तकाल सं० 913 ग्राम भूनगडा ठेठर को निरस्त फरमाया जाकर मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान स० 2 ल0 6 के नाम इन्तकाल विरास्त हिस्सैनुसार दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे, जावे। महति कृपा होगी।

अपीलान्ट की ओर से दफा 05 कानूनी मियाद अधिनियम मिन प्रार्थी/अपीलान्ट की और से मिन पेश है:-

उक्त इन्तकाल सं० 913 ग्राम पंचायत भूनगडा अहीर ने अपीलान्ट के पिता मुर्ताराम के वारिसान की जांच किये बिना रेस्पोडेन्ट सं० 1 द्वारा मिन अपीलान्ट के पिता की विरास्त इन्तकाल तन्हा रेस्पोडेंट स० 2 ल० 6 के नाम मंजूर कर दिया, जो कानूनन गलत है, जबकी रेस्पोडेंट स० 1 को मिन अपीलान्ट के पिता के समस्त वारिसान की जांच कर, विरास्त इन्तकाल मंजूर करना चाहीए था, लेकिन रेस्पोडेंट स० 1 द्वारा मिन अपीलान्ट के पिता की विरास्त का इन्तकाल मंजूर करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून मिन अपीलान्ट के नाम विरास्त का इन्तकाल दर्ज नही कर, रेस्पोडेंट स० 2 ल० 6 के नाम खिलाफ कानून व खिलाफ मौका उक्त इन्तकाल विरास्त दर्ज कर मंजूर किया है। जो काबिल निरस्त है। जिस इन्तकाल को निरस्त किया जाकर, मिन अपीलान्ट को 1/3 भाग व रेस्पोडेंट स० 2 ल० 5 सममाग 1/3 भाग व रेस्पोडेंट स० 6 के नाम 1/3, भाग में पुनः इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिया जाये। मुन्दर्जे इन्तकाल सं0 913 वाके ग्राम भूनगडा ठेठर तह० मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा में वर्णीत आराजी गत ख0न0 521 रकबा 0.49 हैक0, 522 रकबा 0.24 हैक०, 525 रकबा 644 रकबा 0.35 हैक०, 569 रकबा 0.32 हैक०, व ख०न० 273 रकबा 0.30 हैक०, जिस आराजीयत से

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान सैटलमेंट में हाल ख०नम्बरान 640 रकबा 0.49 हैव0, 641 रकबा 0.24 हैक्0, 644 रकबा 0.34 है0, 697 रकबा 0.32 हैक्०, व ख०न० 359 रकबा 0.30 हैक्०, पैमूद हुये है, जो आराजी मिन अपीलान्ट के पिता की आराजी रही है, जो आराजी खानदानी पैतृक आराजी है तथा निन अपीलान्ट के पिता के फौत होने पर रेस्पोडेंट स० 1 द्वारा मृतक मुर्ताराम की विरास्त इन्तकाल स० 913 दिनांक 5/9/2009 को मंजूर करते समय, रेस्पोडेंट स० 2 ल० 6 के नाम का अंकन मंजूर कर, मिन अपीलान्ट का नाम खिलाफ कानन व खिलाफ मौका हजफ कर दिया। जबकी उक्त इन्तकाल में वर्णीत आराजी में मिन अपीलान्ट का 1/3 भाग व रेस्पोडेंट स० 2 ल० 5 का 1/3 भाग व रेस्पोडेंट स० 6 का 1\3 भाग है तथा मौका पर मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेंट इसी प्रकार से काबिज है, तथा काश्त कर रहे है। मिन अपीलान्ट के खानदान का सजरा निम्न प्रकार पेश है।

मूर्ताराम

भूपसिंह पुत्र	बदलूराम पुत्र–फौत	लाली पुत्री

धमेन्द्र पुत्र	कपिल देवी पुत्र	राजबाला पुत्री	धनवन्ती बेवा

मिन प्रार्थी/अपीलान्ट को उक्त अलोच्य इन्तकाल के पारित होने का कतई ज्ञान नहीं था, क्योंकि मिन अपीलान्ट अपने हिस्से की आराजी पर रेस्पोडेंट स० 2 ल0 6 के साथ अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, तथा अपना हिस्सा लेते रहे है, लेकिन अब दिनांक 11/1/2024 को मिन अपीलान्ट को राजस्व रिकोर्ड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो मिन अपीलान्ट को जानकारी हुयी कि मिन अपीलान्ट का नाम जमामबन्दी में नही है, जिस पर मिन अपीलान्ट ने विरास्त इन्तकाल स० 913 की प्रति तहसील कार्यालय से निकलवायी तो जानकारी हुयी कि रेस्पोडेंट स० 1 द्वारा विरास्त इन्तकाल स० 913 मंजूर करते समय मिन अपीलान्ट के नाम का इन्तकाल में दर्ज नहीं किया है, जिस पर वकील साहब से सर्म्पक कर कानूनी सलाह ली जाकर अविलम्ब ही अपील न्यायालय श्रीमान में पेश की जा रही है। जो अपील जानकारी से अन्दर अवधि पेश है। इसलिए दिनांक 5/2/09 से दिनांक 11/01/24 तक का समय जानकारी के अभाव में मुजरा दिया जाना कानून आवश्यक व न्याय संगत है।

उपखण्ड अधिकारी
गुरुग्राम (सोहना-निजाम)

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मिन अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 5/9/2009 से दिनांक 11/1/2024 तक का समय जानकारी के अभाव में कन्डोन फरमाया जावे व अपील अन्दर अवधि स्वीकार फरमाये जाने की कृपा करे। महति कृपा होगी।

अपीलान्ट ने अपने अपील प्रार्थन पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रति इन्तकाल नम्बर 913 दिनांक 5.09.09, जमाबन्दी सम्वत 2064 किता –4, हाल मिलान क्षेत्रफल किता –3, हाल जमाबन्दी वाके ग्राम भुनगडा ठेठर पेश की।

अपीलार्थी की बहस इस प्रकार प्रस्तुत है –

1. कि उक्त अपील अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूनगड़ा अहीर द्वारा दिनांक 05.09.2009 को पारित इन्तकाल संख्या 913 के विरुद्ध दायर की गई है, जो कि मौका, कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।
2. कि मृतक मुर्ताराम (पिता अपीलार्थी) की विरासत का इन्तकाल रेस्पोडेंट नं. 1 (ग्राम पंचायत) द्वारा बिना सभी वैध वारिसों की जांच किये हुए रेस्पोडेंट नं. 2 से 6 के नाम तन्हा दर्ज कर दिया गया। यह आदेश स्पष्टतः गैरकानूनी, अधिनियम–विरुद्ध एवं निरस्त करने योग्य है।
3. कि मृतक मुर्ताराम के वैध वारिस तीन थे—

(i) भूपसिंह (अपीलार्थी)

(ii) बदलूराम (फौत) – जिनके वारिस धमेन्द्र, कपिल, राजबाला, धनवन्ती

(iii) लाली (पुत्री)

अतः विरासत तीन बराबर हिस्सों में बंटनी थी।

4. कि इन्तकाल संख्या 913 में अपीलार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज न करना खिलाफ कानून, खिलाफ मौका एवं गलत तथ्य मानकर पारित आदेश है।
5. कि विवादित खसरा नम्बर –

640 (0.49), 641 (0.24), 644 (0.34), 697 (0.32), 359 (0.30)

यह समस्त आराजी मृतक मुर्ताराम की पैतृक आराजी रही है तथा अपीलार्थी अपने हिस्से में बराबर काबिज व काश्तकार रहा है।

6. कि अपीलार्थी को उक्त इन्तकाल के पारित होने की जानकारी दिनांक 11.01.2024 को जमाबन्दी नकल प्राप्त करने पर मिली, इससे पूर्व उसे कोई सूचना, नोटिस या जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

अतः अपीलार्थी की ओर से दायर दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र कानून व न्यायोचित कारण पर आधारित है।

7. कि पंचायत द्वारा पारित इन्तकाल आदेश अर्धन्यायिक प्रकृति का आदेश नहीं, मात्र प्रशासनिक प्रविष्टि है, और विरासत की गलत प्रविष्टि को सदैव चुनौती दी जा सकती है।

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामर (सैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

8. कि अपीलार्थी का निरन्तर कब्जा, काश्त एवं हिस्साधिकार स्वयं यह सिद्ध करता है कि उसे विरासत से वंचित करना गंभीर त्रुटि है व आदेश पूर्णतः निरस्त करने योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि–
इन्तकाल संख्या 913 दिनांक 05.09.2009 को निरस्त कर,
अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट 2 से 6 के हिस्से निम्नानुसार दर्ज किए जाएँ –
अपीलार्थी – 1/3 भाग
रेस्पोडेंट 2 से 5 – समूहिक 1/3 भाग
रेस्पोडेंट 6 – 1/3 भाग

2. विवेचन (DETAILED ANALYSIS / REASONS & FINDINGS)
न्यायालय द्वारा विचाराधीन बिंदु –
बिंदु 1: क्या इन्तकाल संख्या 913 विरासत नियमों के अनुसार वैध रूप से दर्ज किया गया?
अभिलेख व प्रमाणित प्रति से यह स्पष्ट है कि पंचायत ने विरासत दर्ज करते समय मृतक मुर्ताराम के सभी वैध वारिसों की जाँच नहीं की।
सजरा व वंश–क्रम से यह साबित है कि–
भूपसिंह – पुत्र
बदलूराम – पुत्र (फौत) जिसके वारिस चार
लाली – पुत्री
अतः कुल तीन शाखाएँ बनती हैं।
लेकिन पंचायत ने अपीलार्थी का नाम विरासत इन्तकाल में सम्मिलित नहीं किया। यह आदेश विरासत के मूल नियमों के विपरीत है।
निष्कर्ष – आदेश त्रुटिपूर्ण है।

बिंदु 2: क्या अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी?
अपीलार्थी का यह कथन कि दिनांक 11.01.2024 को जमाबन्दी नकल निकालने पर जानकारी हुई। यह कथन रिकॉर्ड एवं परिस्थिति से संगत प्रतीत होता है। क्योंकि— अपीलार्थी निरन्तर मौके पर 1/3 हिस्से में काबिज व काश्तकार है। भूमि पर कोई विवाद/उत्पीड़न नहीं हुआ जिससे उसे पहले जानकारी होनी चाहिए थी।
निष्कर्ष – जानकारी अभाव प्रमाणित।

बिंदु 3: क्या मियाद देरी (delay condonation) उचित है?
दफा 5 मियाद अधिनियम केवल "पर्याप्त कारण" साबित होने पर ही लागू होता है।
यहाँ– नोटिस नहीं दिया गया, विरासत गलत दर्ज हुई, कब्जा निरन्तर रहा,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

जानकारी का वास्तविक अभाव सिद्ध है, अतः देर जानकारी के अभाव में पूर्णतः न्यायोचित है।

निष्कर्ष – देरी माफ किए जाने योग्य है।

बिंदु 4: क्या अपीलार्थी का 1/3 भाग सिद्ध होता है?

शजरा, कब्जा, वंशावली, रकबे, खसरा परिवर्तन (old → new hal khata) सभी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भूमि मृतक की पैतृक आराजी है तथा विरासत तीन हिस्सों में विभाजित होती है।

निष्कर्ष – अपीलार्थी 1/3 हिस्से का हकदार है।

बिंदु 5: क्या मूल आदेश निरस्त किया जाना चाहिए?

विरासत के गलत अंकन की पुष्टि हो जाने पर आदेश स्वयमेव निरस्त करने योग्य होता है। अंतिम निष्कर्ष – इन्तकाल संख्या 913 निरस्त कर पुनः विरासत दर्ज की जाना न्यायसंगत है।

निर्णय

उक्त विवेचन के अनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 05 कानूनी मियाद अधिनियम में अंकित अवधि को कन्डोन कर अपीलान्ट का अपील प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 913 दिनांक 05.09.2009 को खारिज कर तहसीलदार मुण्डावर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट के पिता मुर्ताराम के विरास्त की नियमानुसार जॉच कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)